

l jkguh; dk; l
cs ukv
ehfM; k l sy] tuin xks Mk
fnukd 28-11-2022

pkjh djus dk vfHk; jã fxj rkrkj] pkjh dk eky cken&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-456/2022 धारा-379/411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-संदीप उर्फ जंगली उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 माड्यूलस व मु0अ0सं0 431/15 धारा 379 भादवि थाना राजौरीगार्डन नई दिल्ली से सम्बन्धित 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी मनोज कुमार सिंह की तहरीर पर थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rkrkj vfHk; jã&

01. संदीप उर्फ जंगली उर्फ कालिया पुत्र रामकेवल मिश्र निवासी ढोढेपुर बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

i athkr vfHk; kx&

01. मु0अ0सं0-456/2022 धारा- 379/411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

vi jkf/kd bfrgkl &

01. मु0अ0सं0 431/15 धारा 379 भादवि थाना राजौरीगार्डन नई दिल्ली।

cjkenxh&

01. 01 माड्यूलस।

02. 01 अदद मोटरसाइकिल

fxj rkrkj drkl Vhe%&

उ0नि0 केदार राम थाना तरबगंज गोण्डा मय टीम।

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnukd 28-11-2022

'kkfrHkx dh vk'kadk ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 okjMh vfhk; ää fxj rnkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0नगर पुलिस ने 01, थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

voŷk 'kjk ds fu"d"lk] fcØh o ifjogu ds fo#) tuinh; ifyl }kjk dh xbl/ dk; bkgh&

01- Fkkuk dk0eudki j }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी झगरू प्रसाद निवासी ग्राम खटिकनपुरवा मौजा अमवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-512/22, 02. शेषराम पुत्र राम खिरोधर निवासी पासीपुरवा मौजा जिगना थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-513/22, 03. श्यामू प्रसाद उर्फ करिया पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी चितहा सुरजापुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-516/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk ekshxat }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. श्रीमती मिथलेश पत्नी राजू नि0 ग्राम बढईपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-305/22, 02. श्रीमती अनीता सोनकर पत्नी राम भवन नि0ग्राम बढईपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-306/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03- Fkkuk rjcxat }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. इन्दर यादव पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद यादव निवासी कुरहा विजय नगर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-457/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04- Fkkuk Nfi ; k }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. सुखीराम पुत्र फागु निवासी भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-352/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05- Fkkuk dkfM; k }kjk dh x; h dk; bkgh&

01. मेवा लाल पुत्र स्व0 रामसागर निवासी ग्राम छितौनी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-303/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।